



कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०,
विद्युत वितरण खण्ड—शाहाबाद, हरदोई

Phone & Fax No: 05852-261000,
E-mail : eddshahabad.hardoi@gmail.com

पत्रांक: 12086 / विधिविधान / पी०एफ०

दिनांक: 21/०९/2023

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के आदेश संख्या 469—चौदह/पाकालि/2015-16 के/2015 निदेशक (वितरण) दिनांक 25.04.2015 एवं पत्र संख्या 696—कार्य—चौदह/पाकालि/2015-16 के/2015/निदेशक (वितरण) दिनांक 29.06.2015 में प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में आपके निजी नलकूप पोर्टल आवेदन क्रमांक 1008331425 के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तों के आधार पर विद्युत भार एवं धनराशि जमा करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है—

क्र०सं०	आवेदक का नाम व पता	आवेदन क्रमांक	स्वीकृत भार	श्रेणी	प्रयोजन	रशीद सं० / दिनांक
1	श्री रमेशपाल पुत्र श्री सिरदार निं० ग्राम नशीरपुर पो० पाली विधान भरखनी, हरदोई।	1008331425	8 HP	LMV-5	निजी नलकूप	YIC42105359341/ 09.10.2023

उपरोक्त विद्युत भार को स्वीकृति तथा उसका अवमुक्त करना निम्नलिखित शर्तों/प्रतिवर्णों के अधीन है—

सामग्री का मूल्य	रु० 85486.00
मीटर की कीमत	रु० 2921.00
मीटर लेवर चार्ज	रु० 2036.00
प्रतिभूति धनराशि	रु० 2400.00
जमा करने हेतु कुल धनराशि	रु० 92843.00

धनराशि शब्दों में— (बानवे हजार आठ सौ तैतालीस रुपये मात्र)

नियम व शर्तें—

- विद्युत प्रणाली ओवरलोड होने के कारण इस वात की पूरी समावना है कि इकाई की कुल विद्युत आपूर्ति के ब्रेकडाउन लोडशेडिंग तथा लो वोल्टेज की समस्याएँ विद्यमान रहें।
- इस आदेश के निर्गत होने से दो वर्ष की अवधि में उपभोक्ता द्वारा ऊपरलिखित विद्युतभार उपभोग न करने की दशा में भी उक्त स्वीकृतभार रखतः निरस्त मान लिया जायेगा।
- यह स्वीकृति इस शर्त के साथ भी प्रतिवधित है कि उपभोक्ता को इस विद्युतभार के उपभोग के पूर्व उठप्र० प्रदूषण नियंत्रण परिषद (यूप्र० पायलूशनकन्ड्रोल बोर्ड) विभाग से सक्षम अधिकारी द्वारा लाइसेंस (यदि आवश्यक हो) भी प्राप्त कर इस कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
- यदि उपभोक्ता के पक्ष में उक्त विद्युत भार पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है तो उस दशा में यह आदेश निरस्त माने जायेंगे।
- उक्त संयोजन को विद्युत आपूर्ति कारपोरेशन के नियमों के अन्तर्गत की जायेगी, परन्तु प्रतिकूल परिस्थितियों में विद्युत प्रणाली की सुरक्षा हेतु समय-2 पर आवश्यकतानुसार रोस्टिंग तथा आपात कालीन रोस्टिंग की जा सकती है।
- विद्युत आपूर्ति कारपोरेशन के लागूरेट शैड्यूल में निहित वोल्टेज पर ही दी जायेगी।
- उक्त विद्युत भार किसी भी दशा में कारपोरेशन को किसी भी ट्रॉक लाइन को ट्रैप करके अवमुक्त नहीं किया जायेगा।
- किसी भी दशा में शहरी पोषक की नगरपालिका / नगरमहापालिका / टाउन ऐरिया की सीमा से बाहर बढ़ाकर विद्युतभार अवमुक्त नहीं किया जायेगा।
- स्वतन्त्र पोषक द्वारा विद्युतभार अवमुक्त करने हेतु कारपोरेशन द्वारा समय-2 पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- यदि कालम 2 में उल्लिखित परिसर/इकाई पर अथवा उपभोक्ता के नाम से पहले कोई कनेक्शन रहा हो तो उक्त स्वीकृत धनराशि (यदि कोई हो) का पूरा भुगतान न कर दिया जाये।
- यदि उक्त इकाई/उपभोक्ता और परिषद के मध्य कोई न्यायालिक विवाद अथवा कोर्ट के सलमित हो तो उस दशा में भी विद्युतभार विमुक्त (रिलीज) नहीं किया जायेगा।
- कारपोरेशन द्वारा निर्धारित औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात ही विद्युतभार विमुक्त किया जायेगा।
- कोल्ड स्टोरेज के सम्बन्ध में 18 घटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उददेश से विद्युत आपूर्ति स्वतन्त्र पोषक (इन्डेपेन्डेन्ट फीडर) से की जायेगी। इस हेतु नया स्वतन्त्र फीडर बनाना आवश्यक हो तो उसके निर्माण के होने वाला व्यय स्वयं उपभोक्ता को वहन करना होगा।
- विपरीत प्रणाली दशाओं/आपातकालीन रोस्टिंग अथवा विद्युत कटौती की स्थिति में आवश्यक विद्युत/मांग बनाये रखने के लिये उपभोक्ता को संदेश दिया जाता है कि उपयुक्त क्षमता का जनरेटिंग सेट लगा ले, जिसके लिये परिषद की पुर्वानुमति अलग से पाप्त कर सकते हैं।

अनुबन्ध हेतु आवश्यक प्रपत्र एवं कार्यवाही -

- मोटर निरीक्षण शुल्क के रूप में शासकीय कोश में 043 विद्युत पर कर एवं शुल्क 102 भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत शुल्क ₹ 500.00 जमा करना होगा।
- ऊपर लिखी धनराशि जमा करने के पश्चात जमानत व सर्विस लाइन चार्जेज रूपये की रसीद की दो छायाप्रति पस्तुत करें।
- 100.00 ₹ 0 नॉनजुडिशियल जनरल रसायन तथा एग 10 ₹ के निर्धारित हलफनामे पर एक-एक फोटो चरापाकर किसी राजपत्रित/ग्रामप्रधान/ब्लाकप्रमुख/रादरस्यविधानसभा/ लोकसभा द्वारा प्रगाणित करवाकर प्रस्तुत करें।
- आवेदक के आधारकार्ड की एक छायाप्रति लावें, जिस पर फोटो लगाकर प्रगाणित करायें तथा पूरा नाम व पता एवं मोबाइल नं. लिखें।
- कैपीशिटर खरीद की रसीद की छायाप्रति दो प्रतियों में।
- यदि आपको ऊपर लिखी शर्तें मान्य हों तो आप कृपया किसी कार्य दिवस में 10 बजे से 01 बजे दोपहर तक किन्हीं दो गवाहों सहित इस कार्यालय में उपस्थित होकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करें।
- आपको कनेक्शन हेतु लाइन व सबरेशन बनवाने हेतु..... गजदूरों की आवश्यकता होगी, जिसकी व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी।
- आपको अपने कनेक्शन के लिए रख्यां सम्बन्धित विद्युत भण्डार केन्द्र हरदोई से अपने वाहन द्वारा सामान की ढुलाई करनी होगी आपके साथ कारपोरेशन का चतुर श्रमिक/स्टिललेवर/जावेगा तथा आप द्वारा श्रमिकों की व्यवस्था करने पर शीघ्र ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
- मोटर पर निर्धारित धमता का कैपीशिटर लगायें।
- आपको अपना पम्पहाउस बनवाने हेतु आवश्यक ईंट, बालू तथा सीमेंट का प्रबन्ध करना पड़ेगा अतः उसी में से उपयुक्त वस्तुओं की आवश्यक मात्रा अपनी लाइन कनेक्शन हेतु भी देय होगी।

नोट:-

- सीमेंट, बालू तथा मिट्टी की आवश्यकता केवल आखिरी खम्मे तक एंगिल पोल तथा स्टे के लिए होगी जिसकीमात्रा निम्नलिखित दर से होगी, प्रति खम्मा तक सीमेंट 0.85 वोरी, बालू 4.55 घनफिट, मिट्टी 910 घनफिट, सीमेंट 0.35 वोरी, बालू 1.85 घनफिट मिट्टी 3.77 घनफिट।
- आपके कनेक्शन को विजली तभी दी जायेगी जब आपकी वायरिंग पूरी होगी और बी0 एण्ड एल0 फार्म और मोटरडिक्लेरेशन फार्म (मोटर मुआयना के ट्रेजरी चालान सहित) इस कार्यालय में जमा करें।
- यदि आप उपरोक्त शर्तें इस पत्र पाने के 90 दिन के अन्दर पूरी नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है और आपका आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
- कृपया ISIमार्क मोटरों व स्टार्टर का प्रयोग करें।
- अन्तिम खम्मे से आपके परिसर तक जो केविल लगेगा उसका मूल्य आपसे नहीं लिया गया है। जिसकी व्यवस्था आपको स्वयं करनी है।
- लाइन निर्माण में कोई भी विवाद होगा तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- आवेदक द्वारा संयोजन स्थल पर कोठरी निर्माण के पश्चात ही संयोजन ऊर्जाकृत हो सकेगा।
- उपरोक्त नियम व शर्तें में परिवर्तन होना सम्भावित है तथा संशोधन नियम शर्तें आपको मान्य होंगी। जमायोजनान्तर्गत कनेक्शन लेने पर धनराशि जमा करने तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त वरीयता क्रमानुसार संयोजन दिया जायेगा।
- आपके परिसर पर मीटर स्थापित होने के उपरान्त ही संयोजन निर्गत किया जायेगा। यदि बिना मीटर के कनेक्शन चलता पाया जायेगा तो आपके विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिए पूर्ण रूप से आप जिम्मेदार होंगे।


(विनोद कुमार)
0/10/2023
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक: 12686 / वि०वि०ख०शा०ह० / पी०एफ०

दिनांक : 21/10/2023

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- उपखण्ड अधिकारी, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, विद्युत वितरण उपखण्ड शाहावाद/पिहानी/सवायजपुर, हरदोई।


(विनोद कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
9/10/2023